न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 61/10 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2010/00060

उनवान

1. बंगालीप्रसाद पुत्र श्री गवरीनन्दन कौम त्यागी निवासी ग्राम टेहरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। (मृत)
   1/1. राजेन्द्र प्रसाद
   1/2. बृजेन्द्र सिंह
   } पिस0 स्व0 श्री बंगालीप्रसाद जाति त्यागी निवासी ग्राम टहरी तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. बंशी (मृत)
   1/1. देवीलाल
   1/2. रामप्रकाश
   1/3. भगवान स्वरूप
   1/4. सोनदेई पुत्री वंशी
   } पिस0 स्व0 श्री वंशी जाति कुम्हार निवासी ग्राम टेहरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. वीरी
3. रामचरन
4. रामलाल
   } पुत्रगण श्री फद्दी जाति कुम्हार नि0 ग्राम टेहरी तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।
5. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सन्तर रोड धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 22.03.2010 प्र0स0 क्रमशः 27/02 उनवान बंगाली बनाम बंशी।

अभिभाषकगण :–
1. वकील अपीलाण्ट श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 एक वाद अंतर्गत धारा 188 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 468 रकवा 17 विस्वा वाके ग्राम टहरी तहसील सैपऊ के वादी अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण रैस्पो0, वादी/अपीलाण्ट के सीधेपन का फायदा उठाकर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् वादी अपीलाण्ट ने प्रकरण को संशोधन कराते हुये धारा 183 का भी अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से आंशिक स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण आंशिक रूप से काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 468 के अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार हैं। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 471 लगा हुआ है, जो सरकारी रकवा है। प्रतिवादी वंशी के वारिसो ने हमारे खसरा नम्बर 468 में एक गट्ठा भूमि पर कब्जा कर रखा है। उक्त कब्जा की पुष्टि, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं बयान से साबित होती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट के संशोधित अनुतोष धारा 183 को साबित नहीं माना। जबकि उक्त तथ्य मौका रिपोर्ट पटवारी एवं बयानो से साबित है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डब्ल्यूएलसी 2014 पेज 158, आरआरडी 2019 पेज 572, आरआरटी 2014–2015 पेज 267 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट की कब्जे शुदा आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल करने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.12.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। जिस पर वादी अपीलाण्ट ने दिनांक 18.01.2008 को संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करते हुये वाद की मद संख्या 4(अ) में अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 468 में से प्रतिवादीगण रैस्पो0 को आराजी से बेदखली करने एवं वादी को कब्जा वापस दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा धारा 188 तक तो स्वीकार कर लिया। परन्तु धारा 183 बाबत् दावा खारिज कर दिया। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि खसरा नम्बर 468 का दक्षिणी–पश्चिमी कौना लगभग एक गट्ठा अर्थात 10 कडी पर गैर सायलान बंशी–वीरी पिसरान फद्दी के आधिपत्य में है। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का श्री अशोक कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री रामचरनलाल के बयान भी कराये हैं उक्त बयानो में पटवारी हल्का ने स्पष्ट बयान किया है कि पैमाईश से पाया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 468 के दक्षिणी–पश्चिमी की भुजा जो खसरा नम्बर 471 की तरफ है में प्रतिवादीगण वंशी वगै0 ने ईधन आदि 7.5 फीट (एक गट्ठा) में

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रखे पाये गये थे। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट अपने कथनो को पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध कर पाये हैं। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को धारा 183 का अनुतोष नहीं दिया, जो न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2009 धारा 188 तक यथावत रखें जाते हैं एवं बेदखली बाबत आदेश निरस्त किये जाकर, तहसीलदार सैपऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि वर्तमान में भी जॉच करने पर वादी अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 468 पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 का मुताबिक पैमाईश एवं बयान पटवारी हल्का कब्जा हो तो, उन्हें आराजी से बेदखल कर वादी अपीलाण्ट का कब्जा वापस दिलवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर